संवाद

पुलिस की नज़र में बच्चे ही दोषी*

शिवम विज

नई दिल्ली, फरवरी 7, 2013 को जारी एक नई रिपोर्ट *ब्रेकिंग द साइलेंसः चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ इन इंडिया* में *ह्यूमन राइट्स वॉच* ने कहा कि भारत में घरों, विद्यालयों और रिहायशी देखभाल केंद्रों में बाल यौन शोषण सामान्य रूप से एक चिंताजनक समस्या है। नई दिल्ली में हुए हमले के बाद क़ानूनी और नीतिगत सुधारों के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने पाया है कि बाल संरक्षण योजनाएं "अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही हैं।"

यह रिपोर्ट यह पड़ताल करती है कि किस प्रकार वर्तमान सरकार की प्रतिक्रियाएं यौन दुर्व्यवहार से बाल संरक्षण और पीड़ितों के उपचार, दोनों दृष्टि से विफल रही हैं। *ह्यूमन राइट्स वॉच* के अनुसार इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे यदि सुरक्षा तंत्रों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। न्याय व्यवस्था में सुधार करना भी बेहद ज़रूरी है जिससे सभी यौन दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट दर्ज की जाए और अपराधी को सज़ा मिले।

"बाल यौन उत्पीड़न का सामना करने में भारतीय व्यवस्था अक्षम है क्योंकि सरकारी तंत्र बच्चों को सुरक्षा देने में असफल रहा है," *ह्यूमन राइट्स वॉच* की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली कहती हैं, "पुलिस, चिकित्सकीय कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बाल उत्पीड़न की शिकायत करने की हिम्मत दिखाने वाले बच्चों की अवहेलना और उपेक्षा की जाती है।"

इस रिपोर्ट में बाल यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए सरकारी तंत्रों के निरीक्षण के लिए संख्यात्मक विश्लेषण के बजाय असल केस-कथाएं उपयोग की गई हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि बाल यौन उत्पीड़न को संबोधित करना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत में राज्य और समुदाय स्तर पर प्रतिक्रिया की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है, पुलिस द्वारा शिकायत प्राप्त करने से लेकर सुनवाई पूरी होने तक, आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रक्रियाओं में सुधार लाने की ज़रूरत है। असंवेदनशील पुलिस अक्सर शिकायतें दर्ज करने से इंकार कर देती है और पीड़ित के साथ बेरुखी और अपमानजनक रवैया अपनाती हैं।

डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं संवेदनशील चिकित्सा और जांच के लिए प्रशिक्षण और दिशानिर्देशों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। *ह्यूमन राइट्स वॉच* द्वारा दर्ज किए गए चारों मामलों में, बलात्कार की शिकार लड़कियों की जांच के लिए डॉक्टरों ने 'ऊंगली जांच' का फ़ोरेंसिक इस्तेमाल किया जबकि विशेषज्ञों का कहना कि इस जांच का कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है। एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति ने इस पर रोक लगाने की मांग भी की है।

"यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों तथा उनके रिश्तेदारों के लिए इस सच का सामना करके मदद के लिए आना ही मुश्किल होता है, लेकिन इन मामलों पर संवेदनशीलता के साथ काम करने के बजाय भारतीय अधिकारी अक्सर उन्हें और ज़्यादा यातना देते हैं। "संवेदनशील व सहयोगात्मक पुलिस व्यवस्था हेतु पुलिस सुधारों को लागू करने की असफलता ने इन पीड़ितों के लिए पुलिस थानों को डरावनी जगह बना दिया है।"

"पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया। मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद उन लड़कों के साथ जाना चाहती थी। जांच के दौरान मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ मारपीट की गई थी, मुझे काटा और खरोंचा गया था पर उसने कहा कि कोई अंदरूनी चोट नहीं थी। मैं बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया।" उम्र 16 वर्ष

* *ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा 7 फ़रवरी, 2013 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति*

अनाथ तथा अन्य ख़तरों से घिरे बच्चों के साथ आवासीय देखभाल सुविधाओं में यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। देश के अधिकांश हिस्सों में निरीक्षण तंत्र अपर्याप्त हैं। निजी तौर पर चलाई जाने वाली कई सुविधाओं का पंजीकरण भी नहीं किया जाता। फलस्वरूप, सरकार के पास न तो देश में चलाए जा रहे सभी अनाथालयों और अन्य संस्थानों का रिकॉर्ड होता है और न ही उनमें रहने वाले बच्चों की कोई जानकारी। यहां तक कि अच्छी तरह काम कर रहे और सम्मानित संस्थानों में भी खराब निगरानी तंत्र के कारण उत्पीड़न होते हैं। दिल्ली में सरकार द्वारा न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई समिति, ने यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए कई सुझाव दिए और रिहायशी देखभाल संस्थानों में बच्चों की दशा पर चिंता व्यक्त की। बाल यौन उत्पीड़न के आरोपों को जांचने के बजाय, प्रबंधक इन शिकायतों को मानने से इंकार करते हैं। ऐसी ही एक सुविधा में उत्पीड़न की जांच के बाद आरोपों के बारे में, *राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग* के विनोद टिक्कू ने टिप्पणी की— "यह उपेक्षा नहीं है। यह एक व्यवस्थागत असफलता है।"

"चौंकाने वाली बात यह है कि अरक्षित बच्चों की सुरक्षा करने वाले संस्थान ही उन्हें यौनिक दुर्व्यवहार के बड़े खतरे में डालते हैं," गांगुली ने कहा। "राज्य सरकारों को सरकारी, निजी या धार्मिक बाल कल्याण संस्थानों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक प्रभावशाली तंत्र लागू करना चाहिए।"

ह्यूमन राइट्स वॉच ने *यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून 2012* का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस क़ानून को लाकर, भारत सरकार ने देश में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़नों को स्वीकारने और उन पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस क़ानून के तहत, बच्चों के साथ होने वाले सभी प्रकार के यौनिक दुर्व्यवहारों को पहली बार विशिष्ट अपराध माना गया है। यह क़ानून पुलिस तथा अदालतों के लिए भी आवश्यक दिशानिर्देश स्थापित करता है ताकि वे पीड़ितों के साथ संवदेनशील तरीके से निपटें और विशिष्ट बाल अदालतें भी गठित की जा सकें।

"जब मैं थाने गई तो थानेदार ने मुझसे पूछताछ की...मुझे पुलिस स्टेशन में ताले में बंद रखा गया। वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं अपना बयान बदल दूं वरना मुझे कुछ भी हो सकता है... उस समय के बारे में सोचती हूं तो डर जाती हूं।" उम्र 12 वर्ष

अब सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि 'पाक्सो' क़ानून तथा अन्य प्रासंगिक क़ानूनों व नीतियों का सही क्रियान्वयन हो ताकि एक निगरानीपूर्ण सुरक्षा तंत्र तैयार किया जा सके। *ह्यूमन राइट्स वॉच* के अनुसार यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर यौन उत्पीड़न उनके परिचित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जैसे बुर्जुग संबंधी, पड़ोसी, स्कूल कर्मचारी या रिहायशी देखभाल सुविधाओं के कर्मचारी और बड़े बच्चे। देश के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम तथा स्वायत्त बाल अधिकार आयोग का गठन एक कड़ी चुनौती है।

भारत सरकार को बाल कल्याण अधिकारी, बच्चों के रिहायशी देखभाल संस्थानों के प्रबंधन व स्कूल अधिकारियों, पुलिस, डॉक्टर, अदालती अधिकारी, सरकारी या निजी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मुहैय्या कराने चाहिए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वे बाल उत्पीड़न पर कारगर कदम उठा सके। सरकारी संस्थानों के प्रति अविश्वास को दूर करने के लिए भी सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

भारत बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने वाले मूल अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार समझौतों जिसमें *नागरिक और राजनैतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, बाल अधिकार समझौता, महिलाओं के विरूद्ध हर प्रकार के भेदभाव उन्मूलन समझौता (सीडॉ)* भी शामिल है, का पक्षधर है। ये संधियां सभी स्तरों पर राज्य सरकारों को ज़िम्मेदारी सौंपती हैं कि वे बच्चों बाल यौन हिंसा और उत्पीड़न को सुरक्षा के उपाय करें, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई करें। राज्य आई.सी.सी.पी.आर., उत्पीड़क राजकीय कार्रवाइयों तथा निजी पक्षों द्वारा दुर्व्यवहार से प्रभावी ढंग से निपटने की ज़िम्मेदारी भी राज्य पर सौंपता है।

गांगुली के अनुसार "भारत सरकार ने उच्चतम स्तरों पर यह माना है कि यौन उत्पीड़न से देश के बच्चों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। पर अभी भी भेदभाव, पक्षपात और घोर असंवेदनशीलता को सम्बोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।" "जैसा कि कई अधिकारियों ने हमें कहा है कि नए क़ानून या प्रशिक्षण मुहैय्या कराना एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, परन्तु इसके साथ सक्रिय कार्रवाई भी आवश्यक है। साथ ही मानसिकताओं में बदलाव लाना भी ज़रूरी है जिसके रहते उत्पीड़क और संरक्षक, दोनों से ही से अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से न निभाने पर जवाबदेही मांगी जा सके।"

साभारः काफ़िला, फरवरी 7, 2013 अंग्रेज़ी से अनूदित।